सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 अग्रहायण, 1945 (श०)

संख्या - 696 राँची, मंगलवार, 28 नवम्बर, 2023 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(नागर विमानन प्रभाग)

संकल्प

23 नवम्बर, 2023

विषय- दुमका स्थित हवाई अड्डा में प्रस्तावित **Commercial Pilot's License with Multi engine rating and Airbus 320 Type rating** प्रशिक्षण अकादमी के लिए प्रशिक्षण शुल्क, प्रवेश प्रक्रिया तथा **15** प्रशिक्षुओं के लिए शतप्रतिशत छात्रवृत्तिनीति के निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-CADSec1/01-Plan-16/2022/Cabinet/800--दुमका स्थित हवाई अड्डा पर Commerical Pilot's License with Multi Engine Rating स्तर के प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु 60×80 वर्ग फीट के हैंगर भवन, 28 कक्ष के छात्रावास तथा प्रशासनिक भवन का निर्माण कराया गया है। दिनांक-07.04.2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न समीक्षा बैठक में उक्त प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन स्वयं राज्य सरकार द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को Airbus 320 aircraft पर Type rating की व्यवस्था कराने की भी योजना है। इसके आलोक में विभाग द्वारा Directorate General of Civil Aviation, Govt. of India से स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है ।

2. Directorate General of Civil Aviation, Govt. of India द्वारा निर्गत परिपत्र Civil Aviation Requirement Section-7, Series-D, Part-I के कंडिका-14.1.1 के अनुसार *"The intake of students in the FTO shall commensurate with the number of flying instructors. The aircraft: flying instructor: trainee ratio shall not exceed 1:1:10."* वर्तमान में प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र हेतु विभाग के पास 03 Zlin 143L single engine प्रशिक्षण विमान उपलब्ध हैं जिसके विरूद्ध 03 प्रशिक्षकों को outsource के माध्यम से रखने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तदनुसार प्रशिक्षण हेतु प्रथम बैच में कुल 30 प्रशिक्षुओं के प्रवेश का प्रावधान निर्धारित करने की योजना है जिसके लिए प्रस्तुत संकल्प में चयन की प्रक्रिया तथा शुल्क का निर्धारण का प्रस्ताव है ।

3. कंडिका-1 में वर्णित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रथम बैच में प्रवेश हेतु निर्धारित 30 प्रशिक्षुओं में से 15 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा शतप्रतिशत छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से संपोषित होगा। शेष 15 प्रशिक्षुओं का चयन राज्य सरकार के सरकारी संस्थानों के व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रावधानानुसार इस संकल्प में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।

4. योजना के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण के 02 प्रमुख चरण होंगे यथा:-
   (i) Commercial Pilot's License with Multi Engine Rating Training (यह प्रशिक्षण दुमका हवाई अड्डा स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में विभाग द्वारा संपादित कराया जायेगा).
   (ii) Type Rating on Airbus 320 category aircrafts (यह प्रशिक्षण भारतवर्ष में उपलब्ध 02 प्रमुख संस्थान Flight Simulation Technique Centre Pvt. Ltd., Gurugram, Haryana अथवा CAE Simulation Training Pvt. Ltd., Gautam Buddha Nagar, U.P से संपादित कराया जायेगा तथा यह प्रशिक्षण गैर छात्रवृत्ति प्राप्त प्रशिक्षुओं के लिये ऐच्छिक होगा).

5. Commercial Pilot's License with Multi Engine Rating Training हेतु चयन की प्रक्रिया तथा शुल्क के निर्धारण के लिये भारतवर्ष में अवस्थित स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों यथा-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, अमेठी, उ. प्र.; चाईम्स एविएशन अकादमी, सागर, म. प्र. तथा गर्ग एविएशन्स लि., कानपुर, उ. प्र. द्वारा निर्धारित दरों तथा प्रवेश हेतु चयन की प्रक्रिया को दृष्टिपथ रखते हुए दुमका में प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र हेतु इसका निर्धारण किये जाने का प्रस्ताव है। साथ ही Airbus 320 aircraft पर Type rating हेतु 15 प्रशिक्षुओं को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति की गणना के उद्देश्य से भारतवर्ष में उपलब्ध दो प्रमुख संस्थान यथा- Flight Simulation Technique Centre Pvt. Ltd., Gurugram, Haryana तथा CAE Simulation Training Pvt. Ltd., Gautam Buddha Nagar, U.P से प्राप्त वर्तमान दरों के आलोक में Flight Simulation Technique Centre Pvt. Ltd., Gurugram, Haryana से प्राप्त दर को आधार मानते हुए छात्रवृत्ति निर्धारित करने का प्रस्ताव है ।

6. कंडिका-3 एवं 4 के आलोक में प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु पात्रता निम्नवत निर्धारित करने का प्रस्ताव है:-

(i) Minimum age 17 years at the time of joining the course.
(ii) 10+2 or equivalent with Physics, Mathematics and English.
(iii) Class-II Medical.
(iv) Minimum 50% marks in English, Physics and Mathematics in 10+2 or equivalent examination in each subject individually (5% relaxation to SC/ST/OBC/EWS candidates).
(v) Minimum of 50% total aggregate marks in 10+2 or equivalent examination. (5% relaxation to SC/ST/OBC/EWS candidates).

7. प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित करने का प्रस्ताव है :-

(i) प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकन हेतु नागर विमानन प्रभाग द्वारा written exam, Pilot Aptitude/ Psychometric Test तथा Viva/Interview का आयोजन कराते हु ए समेकित मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्रवेश परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण तथा प्रवेश परीक्षा का आयोजन नागर विमानन प्रभाग द्वारा Indira Gandhi Rashtriya Uddan Academy के तर्ज पर कराया जाएगा ।

(ii) कुल 30 प्रशिक्षुओं का नामांकन मेधाक्रम के अनुसार प्रभावी आरक्षण के प्रावधानों का पालन करते हु एनिम्नवत किया जाएगा:-

क्र.सं.	**कोटि**	**कोटिवार सीटों की अनुमान्यता।**
1.	अनारक्षित	13
2.	अनुसूचित जनजाति	08
3.	अनुसूचित जाति	03
4.	पिछड़ा वर्ग-1	02
5.	पिछड़ा वर्ग-2	02
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	02
	कुल	**30**

इनमें से 05 सीट झारखण्ड उड्डयन संस्थान से सफलतापूर्वक Glider Pilot's License का प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अर्थात Glider Pilot's License धारी अभ्यर्थियों हेतु क्षैतिज रुप से आरक्षित रहेंगे। झारखण्ड उड्डयन संस्थान से Glider Pilot's License योग्यताधारी अभ्यर्थी नहीं मिलने पर प्रावधानानुसार प्रशिक्षुओं का नामांकन किया जा सकेगा ।

कुल 30 प्रशिक्षुओं में से मेधाक्रम के अनुसार प्रभावी आरक्षण के प्रावधानों का पालन करते हु ए 15 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) झारखण्ड के द्वारा शत प्रतिशत छात्रवृ त्तियोजना के माध्यम से संपोशित होगा ।

(iii) किसी कारणवश योग्य प्रशिक्षु के नामांकन नहीं लेने/होने की स्थिति में प्रावधानानुसार नामांकन किया जाएगा ।

8. कंडिका-3 एवं 4 के आलोक में प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र हेतु गैर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं हेतु प्रशिक्षण शुल्क का निर्धारण निम्नवत किए जाने का प्रस्ताव है:-

Registration Fee (Non Refundable)	Rs. 23,000/-
One time Uniform, Stationary, and other charges.	Rs. 40,000/-
SPL, FRTOL Issue & Processing fee	Rs. 13,000/-
CPL Ground Classes	Rs. 1,75,000/-
Flying Training	
185 Hrs. Training on Single engine aircrafts @ Rs. 14,000/- per hour.	Rs. 25,90,000/-
15 Hrs. Training on Multi engine aircrafts @ Rs. 36,000/- per hour.	Rs. 5,40,000/-
Multi Engine Simulator (20 Hrs.)	Rs. 50,000/-
Total – Rs. 34,31,000/- (Thirty four Lakh Thirty one Thousand Only)	
Accommodation and other charges @ Dumka Airport	
Accommodation on Twin Sharing basis except electricity charges.	Rs. 5,000/- per month
Fooding	Rs. 4,000/- per month
Electricity Charges	On actual basis.
Type Rating on Airbus 320 aircraft (optional)	On actual basis as decided by the external training agency.

9. उपरोक्त के आलोक में सामान्य प्रशिक्षुओं हेतु प्रशिक्षण शुल्क के भुगतान की अनुसूची का निर्धारण निम्नवत किए जाने का प्रस्ताव है:-

Schedule of Payment	
Registration fee (At the time of Admission)	Rs. 3,50,000/-
Before Start Flying	Rs. 3,90,000/-
Before 20 Hrs. of Flying	Rs. 7,00,000/-
Before 50 Hrs. of Flying	Rs. 7,00,000/-
Before 100 Hrs. of Flying	Rs. 7,00,000/-
Before 150 Hrs. of Flying	Rs. 5,91,000/-
Total	**Rs. 34,31,000/-**
Accommodation on Twin Sharing basis except electricity charges.	Quarterly Advance Payment
Fooding	
Electricity Charges	Monthly

10. कंडिका-3 एवं 4 के आलोक में प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र हेतु छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित 15 प्रशिक्षुओं के लिए मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार द्वारा प्रशिक्षण हेतु निम्नांकित components के अनुसार प्रति प्रशिक्षु अधिकतम रू. 60,73,236/- मात्र की छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है:-

Registration Fee (Non Refundable)	Rs. 23,000/-
One time Uniform, Stationary, and other charges.	Rs. 40,000/-
SPL, FRTOL Issue & Processing fee	Rs. 13,000/-
CPL Ground Classes	Rs. 1,75,000/-
Flying Training	
185 Hrs. Training on Single engine aircrafts @ Rs. 14,000/- per hour.	Rs. 25,90,000/-
15 Hrs. Training on Multi engine aircrafts @ Rs. 36,000/- per hour.	Rs. 5,40,000/-
Multi Engine Simulator (20 Hrs.)	Rs. 50,000/-
Accommodation and other charges @ Dumka Airport	
Accommodation on Twin Sharing basis including electricity charges. (@ Rs. 5,200/- per month for 24 months)	Rs. 1,24,800/-
Fooding (@ Rs. 4,000/- per month for 24 months)	Rs. 96,000/-
Type Rating on Airbus 320 aircraft	Rs. 22,01,306/-
Price escalation on Type rating course @ 10% of Rs.22,01,306/-	Rs. 2,20,130/-
Total – Rs. 60,73,236/- **(Sixty Lakh Seventy three Thousand Two Hundred Thirty six Only)**	

11. उपरोक्त कंडिका-10 में वर्णित छात्रवृत्ति के अनुसार 15 प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान करने के फलस्वरूप इस योजना में प्रत्येक batch हेतु कुल रू. 9,10,98,540/- (नौ करोड़ दस लाख अंठानबे हजार पाँच सौ चालीस रूपये) मात्र का व्यय अनुमानित है। इस राशि की उपलब्धता मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार द्वारा सुसंगत बजट शीर्ष/उप शीर्ष स्थापित करते हुए विभाग के अंतर्गत गठित झारखण्ड उड्डयन संस्थान को एकमुश्त उपलब्ध करायी जायेगी ।

12. प्रशिक्षण अकादमी में दिव्यांगों का प्रवेश/नामांकन नहीं करने के बिन्दु पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं.-2249, दिनांक-03.04.2018 के कंडिका-5 के अंष-क में कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि CPL प्रशिक्षण हेतु DGCA, भारत सरकार के नियमन के अनुसार दिव्यांग के प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं है ।

13. संकल्प की कंडिका-8 एवं 10 पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है ।

14. संकल्प पर मुख्य (विभागीय) मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है ।

15. संकल्प की कंडिका-3 एवं 7 के अनुसार प्रशिक्षुओं के चयन प्रक्रिया संबंधी प्रस्ताव पर कार्मिक, प्रषासनिक सुधार तथा राजभाशा विभाग की सहमति प्राप्त है ।

16. प्रस्ताव पर विधि विभाग की विधिक्षा प्राप्त है ।

17. वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव पर इस "शर्त्त के साथ सहमति प्रदान की गई है कि DGCA से Flying Organisation की मान्यता प्राप्त होने के बाद ही "शत-प्रतिशत'' शुल्क का बजट प्रावधान कराया जाएगा ।

18. संकल्प की कंडिका-3 एवं 5 के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने, कंडिका-6 एवं 7 में उल्लिखित अहर्ता के अनुसार प्रशिक्षुओं का चयन, कंडिका-8 में उल्लिखित प्रशिक्षण "शुल्क निर्धारण, कंडिका-9 के अनुसार भुगतान प्रशिक्षण "शुल्क के भुगतान की अनुसूची तथा कंडिका-10 के अनुसार 15 प्रशिक्षुओं कों छात्रवृत्तिप्रदान करने के प्रस्तावों से संबंधित विभागीय संलेख सं.-759, दिनांक-02.11.2023 में अंतर्निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-03.11.2023 की बैठक के मद सं.-18 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 696 - 50